फर्द अहकाम

अज अदालत–न्यायालय जिला कलक्टर–मुकाम–भरतपुर

चन्द्रशेखर गोयल एडवोकेट बनाम जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक भरतपुर

किस्म मुकदमा अपील आर. टी. आई नम्बर ..11.... सन् 2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
25.01.2021	सूचना के अधिकार अधिनियम 2005 के तहत चन्द्रशेखर गोयल एडवोकेट ,174/148, प्रतापनगर ,सांगानेर ,जयपुर की अपील जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर के खिलाफ प्राप्त हुई है। अपील दर्ज रजिस्टर हो। अपील का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी द्वारा यह अपील जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर के खिलाफ पेश की गई है। आर.टी.आई एक्ट के तहत जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक मुख्यालय भरतपुर के खिलाफ अपील सुनवाई का क्षेत्राधिकार इस कार्यालय को नहीं है। अतः प्राप्त मूल अपील प्रार्थी को वापिस लोटाकर सूचित किया जावे कि वे नियमानुसार अपील मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी भरतपुर के यहां प्रस्तुत करें। पत्रावली फैसल शुमार हो। बाद कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो। जिला कलक्टर भरतपुर (राज०)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Nathmal Didel
Date: 2021.02.26 16:06:40 IST
Reason: SelfAttested